संख्या-345/63-व0उ0-2010-46(एच)/04

प्रेषक,

डा0 जे0एन0 चैम्बर
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0,
कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग

लखनऊ : दिनांकः 11 फरवरी, 2010

विषयः- उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, कानपुर की सारंग तालाब, वाराणसी स्थित भूमि/भवन को रेशम विकास विभाग को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3677/नजा0/2009-10 दिनांक 11 जनवरी 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, कानपुर की सारंग तालाब, वाराणसी स्थित भूमि एवं भवन को रेशम विकास विभाग को विक्रय किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सारंग तालाब, वाराणसी स्थित भूमि का कुल क्षेत्रफल 6460.71 वर्गमीटर है। तहसीलदार, सदर, वाराणसी/जिलाधिकारी कार्यालय, वाराणसी की आख्या दिनांक 26.06.09 के अनुसार सारंग तालाब, वाराणसी स्थित उक्त भूमि का वर्तमान मूल्यांकन रू07,000.00 प्रति वर्ग मीटर है। तद्नुसार अविवादित भूमि, जिसका क्षेत्रफल 4135.79 वर्ग मीटर है, का मूल्य रू02,89,50,530.00 है। इस भूमि पर निर्मित भवन का मूल्यांकन अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी की मूल्यांकन आख्या दिनॉक 10.07.09 के अनुसार रू0115.29 लाख है। इस प्रकार अविवादित भूमि एवं उस पर निर्मित भवन का कुल मूल्यांकन रू04,04,79,530.00 होता है। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त अविवादित भूमि एवं भवन को सिल्क एक्सचेन्ज की स्थापना हेतु रेशम विकास विभाग को रू04,04,79,530.00 (रूपये चार करोड़, चार लाख, उन्यासी हजार, पॉच सौ तीस मात्र) में विक्रय किये जाने की अनुमति दी जाती है।

3- उक्त भूमि में अवशेष 2324.92 वर्गमीटर के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के निर्णयोपरान्त विवाद समाप्त होने पर तत्समय जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा निर्धारित/मूल्यांकित दरों पर रेशम विकास विभाग को भूमि का विक्रय किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0जे0एन0 चैम्बर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-345(1)/63-व0उ0-2010, तद् दिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, रेशम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(डा0जे0एन0 चैम्बर)
प्रमुख सचिव।